2011/00207

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 100/2011 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री घनश्याम उर्फ लालचन्द पुत्र श्री गंगासहाय, जाति यादव, निवासी बेरी बान्ध, कोठी की ढाणी, थाना प्रागपुरा, जिला जपुर।
2. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति गुर्जर, निवासी टोरडा गुजरान, थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर

अप्रार्थी

मुकदमा नम्बर 397/11 धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना प्रागपुरा में जब्तशुदा डीजल तेल व वाहन पिक अप नम्बर RJ 23 GA 2770 का धारा 6–ए के तहत निस्तारण फरमाये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित :–

1. पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.11.2011 को जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक पिक अप नम्बर RJ 23 GA 2770 में अवैध डीजल तेल से भरी हुई है जो द्वारिकपुरा से टोरडा गुजरान की तरफ आ रही हैं। उक्त सूचना थाना स्टाफ को अवगत कराया जाकर मय जाप्ता नाहरेडा रोड भूरी [illegible] से आने वाला तिराहा पर द्वारिकापुरा की तरफ से एक पिक अप मुखबीर द्वारा बताये नम्बरो RJ 23 GA 2770 आने पर उसको रोककर चैक किया गया। पिक अप के पीछे डाले में 11 ड्रम डीजल तेल के भरे हुये मिले जिसमें प्रत्येक में करीब 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। पिक अप में चालक सीट पर बैठा व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम घनश्याम उर्फ लाचन्द पुत्र श्री गंगासहाय, जाति यादव, निवासी बेरी बान्ध कोठी की ढाणी, थाना प्रागपुरा जिला जयपजुर होनो बताया एवं [illegible] पास आगे वाली सीट पर बैठा व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री बनवारी लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति गुर्जर, निवासी टोरडा गुजरान, थाना प्रागपुरा बताया। उक्त दोनो व्यक्तियों से पिक अप में भरे हुये डीजल के ड्रमों के बारे में पूछा गया तो इन सभी ड्रमों में डीजल तेल भरा हुआ है। इस प्रकार कुल 11 ड्रमों में 2200 लीटर डीजल तेल भरा हुआ मिला। दोनो व्यक्तियों से डीजल तेल को [illegible] परिवहन करने बाबत लाईसेन्स तथा दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना व कोई लाईसेन्स [illegible] होना बताया। जिस पर उक्त दोनो व्यक्तियों को अवैध रूप से डीजल तेल का परिवहन करने व [illegible] रखने पर धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 का पाया जाने पर उक्त डीजल मय ड्रम को [illegible] किया जाकर ड्रमों पर मार्का ए–1 से ए–11 अंकित किया गया तथा FSL परिक्षण हेतु प्रत्येक [illegible] एक–एक बोतल ली जाकर बी–1 से बी–11 अंकित किया गया तथा प्रत्येक ड्रम से एक–एक बोतल [illegible] कन्ट्रोल सैम्पल हेतु ली जाकर सी–1 से सी–11 अंकित किया गया तथा सभी को सील्ड मोहर किया [illegible]

जिला कलक्टर जयपुर

तथा वाहन पिक अप नम्बर RJ 23 GA 2770 को बतौर सबुत जब्त किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये फर्द गिरफ्तार किये गये तथा रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 397/11 धारा–3/7 ई. सी. एक्ट 1955 में कायम कर तफ्तीश की गई। दौराने तफ्तीश दफा 161 जाप्ता फौजदारी में लेख बद्व किये गये तथा धटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कशीद किया गया। जब्तशुदा डीजल में से सैम्पल लिये जाकर वास्ते परीक्षण FSL जमा करवाने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान घनश्याम उर्फ लालचन्द व बनवानीलाल से तफ्तीश की गई तथा बाद तफ्तीश न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि मुलजिमान द्वारा डीजल तेल सस्ती दर से हरियाणा से खरीदकर अपने गांव में ले जाकर मंहगे भाव के हिसाब से बेचने के लिए लाया गया था। अतः प्रकरण में जब्त डीजल तेल 2200 लीटर डीजल व वाहन पिक अप नम्बर RJ 23 GA 2770 का धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 25.11.2011 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण एवं थानाधिकारी प्रागपुरा को निर्देशित किया गया कि जब्त डीजल को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये तथा प्रकरण में जब्त वाहन को जमानत पर रिलीज किये जाने के आदेश दिये गये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मय जाप्ता नाहरेडा रोड भरी भडाज से आने वाला तिराहा पर द्वारिकापुरा की तरफ से एक पिक अप मुखबीर द्वारा बताये नम्बरो RJ 23 GA 2770 आने पर उसको रोकर चैक किया गया। पिक अप के पीछे डाले में 11 ड्रम डीजल तेल के भरे हुये मिले जिसमें प्रत्येक में करीब 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। पिक अप में भरे हुये डीजल के ड्रमों के बारे में पूछा गया तो इन सभी ड्रमों में डीजल तेल भरा हुआ है। इस प्रकार कुल 11 ड्रमों में 2200 लीटर डीजल तेल भरा हुआ मिला। दोनो व्यक्तियों से डीजल तेल को रखने व परिवहन करने बाबत लाईसेन्स तथा दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना व कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया। जिस पर उक्त दोनो व्यक्तियों को अवैध रूप से डीजल तेल का परिवहन करने व कब्जे में रखने पर धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 का पाया जाने पर उक्त डीजल मय ड्रम को जब्त किया गया तथा वाहन पिक अप नम्बर RJ 23 GA 2770 को बतौर सबुत जब्त किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि मुलजिमान द्वारा डीजल तेल सस्ती दर से हरियाणा से खरीदकर अपने गांव में ले जाकर मंहगे भाव के हिसाब से बेचने के लिए लाया गया था। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल व पेट्रोल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 2200 लीटर डीजल व वाहन पिक अप नम्बर RJ 23 GA 2770 को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 14.11.2011 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोलियम उत्पादो को परिवहन करने पर थानाधिकारी प्रागपुरा द्वारा वाहन संख्या पिक अप RJ 23 GA 2770 में 11 ड्रम डीजल तेल के भरे हुये मिले जिसमें प्रत्येक में करीब 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। पिक अप में भरे हुये डीजल के ड्रमों के बारे में पूछा गया तो इन सभी ड्रमों में डीजल तेल भरा हुआ है। इस प्रकार कुल 11 ड्रमों में 2200 लीटर डीजल तेल भरा हुआ मिला। अप्रार्थीगण द्वारा डीजल तेल को रखने व परिवहन करने बाबत लाईसेन्स तथा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस पर उक्त दोनो व्यक्यिों को अवैध रूप से डीजल तेल का परिवहन करने व अधिक मुनाफा कमाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप जब्तशुदा 2200 लीटर डीजल को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 2200 लीटर डीजल को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। है प्रकरण में जब्त वाहन संख्या पिक अप RJ 23 GA 2770 को प्रकरण से मुक्त किया जाता है। थानाधिकारी प्रागपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त डीजल के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 25.11.2011 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर